दिनांक- 08.03.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

□ सहारनपुर पुलिस की Smack kingpin के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही □

थाना नकुड पुलिस द्वारा 25000/- रूपये के इनामी Smack KingPin/ नेटवर्क का मुख्य सरगना गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 27 ग्राम अवैध स्मैक (जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 02 करोड़ 05 लाख 40 हजार रूपये), 02 मोबाइल फोन व 2600/- रूपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

*इसी क्रम में **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन सवेरा" के अनुपालन में** पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **25000/- रूपये के इनामी Smack Kingpin/नेटवर्क का मुख्य सरगना अभियुक्त कौशर पुत्र स्व0 कामिल निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर हाल पता ग्राम पावी सादिकपुर बड़ी मस्जिद के पास किराए का मकान वकील का थाना ट्रॉनिका सिटी जनपद गाजियाबाद** को अम्बेहटा गंगोह रोड पर रामसहायवाला गांव के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त कौशर उपरोक्त के कब्जे से 01 किलो 27 ग्राम अवैध स्मैक (जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 02 करोड़ 05 लाख 40 हजार रूपये), 02 मोबाइल फोन एवं 2600/- रूपये नकद बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त कौशर उपरोक्त थाना सदर बाजार, थाना ननौता एवं थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के अभियोगों में वांछित चल रहा था एवं 25000/- रूपये का इनामी वांछित है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 142/26 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है। **अभियुक्त कौशर द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको के आधार पर विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है**। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ का विवरण:- *अभियुक्त कौशर उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मैं वर्ष 2021 में थाना नकुड से 10 ग्राम स्मैक में जेल गया था, जेल से आने के बाद मैनें और काम किये लेकिन उनमें कमाई कम होने के कारण, मैनें 2024 में फिर से स्मैक खरीदने व बेचने का काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले मेरे गांव के ही एक साथी ने मेरी मुलाकात आसिफ निवासी बरेली से करायी थी तभी से मैं अपने पार्टनरों के साथ मिलकर बरेली से बड़े स्तर पर स्मैक मंगवाकर स्मैक का कारोबार करता हूँ। दिनांक 21.09.2025 को मेरी 713 ग्राम स्मैक एन्टी नारकोटिक्स टीम सहारनपुर व नानौता पुलिस ने पकड़ ली थी तथा उसके बाद दिनांक 26.11.2025 को मेरी व मेरे पार्टनर की 4.5 किलो स्मैक जो*

*हमने बरेली से आसिफ से मंगवायी थी उसे सदर बाजार पुलिस ने पकड़ लिया था, तथा दिनांक 29.09.2025 को मेरी 300 ग्राम स्मैक थाना गंगोह पुलिस ने पकड़ ली थी। तभी से मैं छुपते छुपाते हुए स्मैक का कारोबार कर रहा हूँ। मेरे इस काम में मेरे दो पार्टनर और है, जिसमें मेरा भाई भी शामिल है, जिनके साथ मैं स्मैक के काम में पैसा लगाता हूँ और अपने तीसरे पार्टनर के माध्यम से आसिफ निवासी बरेली के रिश्तेदार से जनपद बरेली से स्मैक मंगवाता हूँ, ये मेरा तीसरा पार्टनर है जो मेरे लिए **COURIER /स्मैक** की डिलीवरी का काम करता है। स्मैक को बरेली से लाकर मेरे गाजियाबाद स्थित किराये के मकान तक पहुंचाता है। उस स्मैक को मैं अपने दो **Peddler's/सप्लायर्स** के माध्यम से ग्राम घाटमपुर व आसपास के क्षेत्र में बिक्री कराता था। मेरे दोनों Peddler's/सप्लायर्स मिलकर घाटमपुर व आसपास के क्षेत्र में स्मैक बेचकर मुझे मोटी रकम देते है। इसके बदले में मैं उन्हे उनकी हिस्सेदारी देता हूँ। इस काम में मुझे अच्छा खासा फायदा हो जाता है। मैं बिल्कुल अनपढ हूँ लेकिन मै अपने पार्टनरों से व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम से बात करता हूँ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. कौशर पुत्र स्व0 कामिल निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर हाल पता ग्राम पावी सादिकपुर बड़ी मस्जिद के पास किराए का मकान वकील का थाना ट्रॉनिका सिटी जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण -

- *01 किलो 27 ग्राम अवैध स्मैक*
- *02 मोबाइल फोन*
- *2600/- रूपये नकद*

अभियुक्त कौशर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. *मु0अ0सं0 426/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह सहारनपुर,*
2. *मु0अ0सं0 231/25 धारा 8/21सी/29 एनडीपीएस एक्ट थाना नानौता सहारनपुर,*
3. *मु0अ0सं0 321/25 धारा 137(2)/3(5) भा0न्या0सं0 थाना सरसावा सहारनपुर,*
4. *मु0अ0सं0 60/19 धारा 102/41 सीआरपीसी थाना नकुड सहारनपुर,*
5. *मु0अ0सं0 281/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नकुड सहारनपुर,*
6. *मु0अ0सं0 66/18 धारा 420 भादवि व 41 सीआरपीसी थाना तीतरों सहारनपुर*
7. *मु0अ0स0 703/25 धारा 8/21/29 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना चौकी प्रभारी अम्बेहटापीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर*
3. *है0कां0 693 वीर प्रताप सिंह थाना नकुड जनपद सहारानपुर*
4. *है0कां0 713 नितिन कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर*
5. *है0का0 650 वरणकार सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर*
6. *है0का0 258 अजीत सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर*
7. *है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर*
8. *का0 1259 विनित तोमर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक:08.03.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा अवैध छुरी सहित 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर ***अभियुक्त रिजवान पुत्र अब्बास निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर*** *को नकुड रोड पर पशुपैठ चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक अदद छुरी बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 127/26 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रिजवान पुत्र अब्बास निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध छुरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *उ0नि0 श्री केरन सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
2. *है0का0 321 राहुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*

दिनांकः **08.03.2026**

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश</u>

<u>थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार</u>

अवगत कराना है कि दिनांक 04.03.2026 को वादिया श्रीमति शिवानी पत्नी पंकज निवासी ग्राम मौ0 तेलपुरा शेखपुरा कदीम थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त आजद पुत्र नसरत मौ0 खजुरपीर चौक शेखपुरा कदीम थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया को नौकरी का झासा देकर बलात्कार करना करने के सम्बंध मे थाना को0 देहात पर मु0अ0सं0 85/26 धारा 69/127(2) बीएनएस व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट मे पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में ***वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला संबंधी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में*** *पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोत0नगर श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दुष्कर्म का वांछित* ***अभियुक्त आजद पुत्र नसरत मौ0 खजुरपीर चौक शेखपुरा कदीम थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर*** *को टपरी अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

आजद पुत्र नसरत मौ0 खजुरपीर चौक शेखपुरा कदीम थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. *उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडना थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।*
2. *है0का0 1165 मोनू कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।*
3. *का0 1501 मोहित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।*

दिनांक- 08.03.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

!! सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध बड़ी कार्यवाही !!

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 वांछित नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 330 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत करीब 66 लाख रूपये) बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत नशा तस्करो के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतू आदेशित किया गया है।*

*इसी क्रम में **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार मे लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त मूसा पुत्र इरफान निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को दुमझेडा कट से नल्हेडा जाने वाले रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 330 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत करीब 66 लाख रूपये) बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त **थाना चिलकाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 354/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के मुकदमें में वांछित** चल रहा था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 81/2026 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। । अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्क विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मूसा पुत्र इरफान निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- *330 ग्राम अवैध स्मैक (कीमत करीब 66 लाख रूपये)*

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 76/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 354/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
3. म0उ0नि0 सुमन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
4. का0 1344 राहुल राणा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
5. का0 2331 लवलेश राठी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
6. का0 978 विपिन नैन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।

दिनांक08 -.03.2026

-प्रेस नोट-

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान 01 **वारण्टी अभियुक्ता सलमा पत्नी अय्यूब निवासी अकबरी कालोनी निकट सरकारी स्कूल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद सं0 1757/22 धारा 498ए/323/504 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 नियत तिथि 21.03.2026 को अकबरी कालोनी से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्ता सलमा उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सलमा पत्नी अय्यूब निवासी अकबरी कालोनी निकट सरकारी स्कूल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. म0उ0नि0 श्री प्रीति सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. म0है0का0 1148 रीटा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. म0है0का0 467 निशा तोमर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
5. म0का0 1680 चित्रा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 08.03.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक कोत0नगर श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 08.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान ***02 वारण्टी अभियुक्तगण 1. शफीक पुत्र कल्लू निवासी फुरकान मुतवल्ली के घर के पास मौ0 नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर*** *को संबंधित वाद सं0–791/2024 व मु0अ0सं0–307/2001 धारा 324/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर (माननीय न्यायालय ACJM द्वितीय सहारनपुर) नियत दिनांक 09.03.2026 में व* ***2. मयंक शर्मा पुत्र गुलशन निवासी पाल डेरी के पास न्यू गोपाल नगर थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर*** *को संबंधित वाद सं0–3636/24 व मु0अ0सं0–46/2020 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर (माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय जनपद सहारनपुर) नियत दिनांक 16.03.2026 में जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहे है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.शफीक पुत्र कल्लू निवासी फुरकान मुतवल्ली के घर के पास मौ0 नूरबस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

2. मयंक शर्मा पुत्र गुलशन निवासी पाल डेरी के पास न्यू गोपाल नगर थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 श्री जोगेन्द्र पाल सिंह थाना कोतवाली नगर सहारनपुर*
2. *है0का0 1258 विकास कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर*
3. *है0का0 862 विपिन मान थाना कोतवाली नगर सहारनपुर*
4. *है0का0 406 अमित धामा थाना कोतवाली नगर सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांकः 08.03.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

*अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा अभियान चलाकर लगातार संघन चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 08.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **01 शातिर अभियुक्त अंकित सैनी पुत्र महेन्द्र सैनी निवासी जनता रोड पुष्पांजलि बिहार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को इब्राहिमी निर्माणाधीन रेलवे पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 73/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अंकित सैनी पुत्र महेन्द्र सैनी निवासी जनता रोड पुष्पांजलि बिहार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- *01 तमन्चा 315 बोर*
- *01 जिन्दा कारतूस 315 बोर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 देवकरण शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
2. *का0 2377 बृजेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
3. *का0 2404 अमित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

ऑपरेशन सवेरा

दिनांकः 08.03.2026

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

☐ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही ☐

थाना बेहट पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी पर करारा प्रहार — 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 13.16 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा"** – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन सवेरा""** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल भाटी के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा दिनांक 07.03.2026 को चैकिंग के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त मुर्तजा उर्फ माली पुत्र यासीन निवासी रिढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को बेहट रोड के नहर मलकपुर की पुलिया से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 13.16 ग्राम **अवैध स्मैक** बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सं0 117/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्व विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

मुर्तजा उर्फ माली पुत्र यासीन निवासी रिढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

13.16 ग्राम अवैध स्मैक

अभियुक्त कुलदीप का आपराधिक इतिहास–

1. *मु0अ0सं0- 117/26 धारा 08/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अ0स0 273/2017 धारा 307 भादवि थाना बेहट सहारनपुर*
3. *मु0अ0स0 45/2023 धारा 147, 323, 427, 452, 504, 506 भादवि थाना बेहट सहारनपुर*
4. *मु0अ0स0 128/2025 धारा 110, 115(2), 303(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना बेहट सहारनपुर*
5. *मु0अ0स0 533/2025 धारा 115(2), 191(1), 191(2), 351(3), 352 बीएनएस थाना बेहट सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
2. *है0का0 734 सतेन्द्र थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
3. *का0 2183 संजू सैम थाना बेहट जनपद सहारनपुर*

दिनांकः 08.03.2026

-प्रेस नोट-

थाना बेहट पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल सहित 01 वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/वाहन चोर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.03.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान ***01 वाहन चोर अभियुक्त सौरभ उर्फ जक्का पुत्र बिजेन्द्र नि0 मौ0 माजरी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर*** *को ग्राम अब्दुल्लापुर बेहट जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0स0 118/2026 धारा 317(5) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।* ***बरामद चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 60/26 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत है*** *। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सौरभ उर्फ जक्का पुत्र बिजेन्द्र नि0 मौ0 माजरी कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 चोरी की स्पेण्डर मोटरसाइकिल UP11CH 0501 (सम्बन्धित मु0अ0स0 60/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना मिर्जापुर)

आपराधिक इतिहास -

1. *मु0अ0स0 570/2025 धारा 303(2), 317(2), 317(5), 318(4), 336(2) बीएनएस थाना बेहट सहारनपुर*
2. *मु0अ0स0 230/2025 धारा 3(5), 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर सहारनपुर*
3. *मु0अ0स0 118/26 धारा 317(5) बी0एन0एस थाना बेहट जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 महेश चन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
2. *है0का0 448 शिवकुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
3. *का0 1354 अभिषेक थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
4. *का0 1802 बिट्टू थाना बेहट जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक: 08-03-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा धोखाधडी कर जमीन का फर्जी बैनामा करने का प्रयास करने के मुकदमें में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही पर बैनामे के नाम पर 10-10 लाख रूपये के 03 चैक बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 07.03.2026 को वादी श्री फरमान पुत्र रमजानी नि0 108 ग्रीन विहार कालोनी जगाधरी थाना बुडिया चौक जिला यमुनानगर हरियाणा की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. नदीम पुत्र नसीम निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर व 2. फजलुर्रहमान पुत्र नामालूम द्वारा वादी को ग्राम नौशेरा ततारपुर थाना मिर्जापुर में जमीन दिखाकर बयाने के तौर पर 1,00,000/- रूपये ले लेने व दिनाँक 06.03.26 को बैनामा कराने के नाम पर 65 लाख रूपये लेने तथा जमीन के मालिक नदीम पुत्र नसीम उपरोक्त की जगह किसी अन्य व्यक्ति से बैनामा कराने के लिये भेजने तथा बायोमैट्रिक पर अंगूठे के निशान न आने पर अभियुक्तगण के मौके से फरार हो जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 116/26 धारा 318(4)/319(2)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 08-03-2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **01 वांछित अभियुक्त नदीम पुत्र नसीम नि0 ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** को ग्राम मिर्जापुर पोल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर 10-10 लाख रूपये के तीन चैक बरामद। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं 07 वर्ष से ग्लोकल यूनिवर्सिटी मिर्जापुर में मालीगिरी का काम करता हूँ। वहाँ से मुझे काम के बदले 10 हजार रूपये प्रतिमाह मिलते हैं। मुझे वेतन सुरजीत देते हैं। मुझे यूनिवर्सिटी में नौकरी हाजी इकबाल उर्फ बाला ने लगवाया था। मेरे पिताजी हाजी इकबाल के यहाँ बहुत पहले से नौकरी करते थे। मुझे भी हाजी इकबाल ने मेरे पिताजी के कहने पर ही यूनिवर्सिटी में मालीगिरी के काम पर लगाया था हाजी इकबाल उर्फ बाला व उनके घरवालो ने मेरे व मेरे पिताजी तथा इकबाल बाला की कम्पनियो में हमारे नाम पर सैकडो बीघा जमीनें खरीदी है। इनमें से बहुत सारी जमीनें ई0डी0 व डी0एम0 ने कुर्क कर रखी है हाजी इकबाल बाला व उनके लडके जावेद ने मेरे नाम वर्ष 2013 में मेरे पिताजी ने मेरे नाम 16 बीघा जमीन नाम करायी थी। यह 16 बीघा जमीन ग्राम जाटोवाला के रहने वाले श्यामलाल से 1.5 लाख रूपये प्रति बीघा वर्ष 2013 में खरीदी थी। हमारे पास पहले से कोई पुश्तैनी जमीन नहीं थी ना ही अब कोई पुश्तैनी जमीन है। मैं और मेरे पिताजी हाजी इकबाल के यहीं मैहनत मजदूरी करते हैं। मेरे व मेरे पिताजी के नाम जो भी जमीने खरीदी गयी है, वह सभी हमारे नाम पर इकबाल बाला व उनके घरवालो ने मेरे व मेरे पिताजी के नाम पर खरीदी गयी है और सारा पैसा उन्ही के द्वारा दिया गया है। और उन्ही के कहने पर जमीन को बेचकर पैसा उन्ही को देते हैं। उन्होने ही कहा था कि जमीनो

को इस तरह बेचो कि जमीन तुम्हारे नाम से दूसरे नाम पर चली जाये और सरकारी महकमा फिर कुर्क नही कर पायेगा। इसी तरह हमने कई जमीने बेची हैं। मेरे मन में यह लालच आ गया कि यह जमीन मेरे नाम सेफरेट है। मै इसे दिखाकर पैसे लेकर दूसरे किसी व्यक्ति को नदीम बनाकर बैनामा करा देंगे और पैसे ठग लेंगें बाद में उन्ही को फर्जी बैनामा कराने में फंसा देंगें। इसके लिए मैने व फजलुर्रहमान ने वकीलों से बात कर सैटिग कर ली। मेंने फजलूर्रहमान जो इकबाल बाला का ड्राइवर रहा है जमीनो का काम करता है। तथा महमूद का ड्राइवर व दिलशाद के लडके शाहवान बगैराह से बात की और पैसे का लालच दिया गया तो फजलुर्रहामान ने एक पार्टी हरियाणे की फसायी मैने अपनी इस 16 बीघा जमीन को बेचने का सौदा अपने गाँव के फजलुर्रहमान पुत्र अब्दुल रहमान के कहने पर उस्मानी पत्नी फरमान निवासी हरियाणा को कर दिया था । उस्मानी व उसके पति ने मुझे पैसे नगद भी दिये थे । जिसको हम लोगो ने जमीन दिखयी थी उसके बाद में उन लोगो से नही मिला। फिर पूरे प्लान के साथ फजलुर्रहमान ने सारी तैयारी करके राकिब जो महमूद का ड्राइवर को नदीम पुत्र नसीम बनाकर मास्क लगबाकर तहसील बेहट में ले गये। और उन लोगो ने महमूद के ड्राइवर राकिब व फजलुर्रहमान को 25 लाख रूपये व चैक दे दिये थे। मै तहसील में नही गया था। जब बायोमैट्रिक मशीन पर राकिब पकडा गया तो फजलुर्रहमान व उसके साथी वहा से भाग आये थे। फजलुर्रमान ने चैक व पैसे मुझे दे दिये थे। और बताया कि राकिब पकडा गया है। तो मेने फजलुर्रहमान से कहा कि तुम चिन्ता ना करो मै सब देख लूगा पैसे मैने अपने पिताजी को दे दिये । उस्मानी द्वारा दिये गये चैकों को मैने डर की वजह से शाकुम्भरी रोड पर बेलका गाँव से पहले सडक के किनारे झाडियों में छिपा दिया था ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

नदीम पुत्र नसीम निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

10-10 लाख रूपये के 03 चैक (HDFC बैंक)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

5. *प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
6. *उ0नि0 श्री महेश चन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
7. *उ0नि0 श्री मुकेश शर्मा थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
8. *का0 1811 राहुल कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर*
9. *का0 2324 रवि कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर*